WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

OCTOBER 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

May millions of lamps illuminate your life with joy, prosperity, health and wealth forever

Wishing you and your family a very Happy Diwali

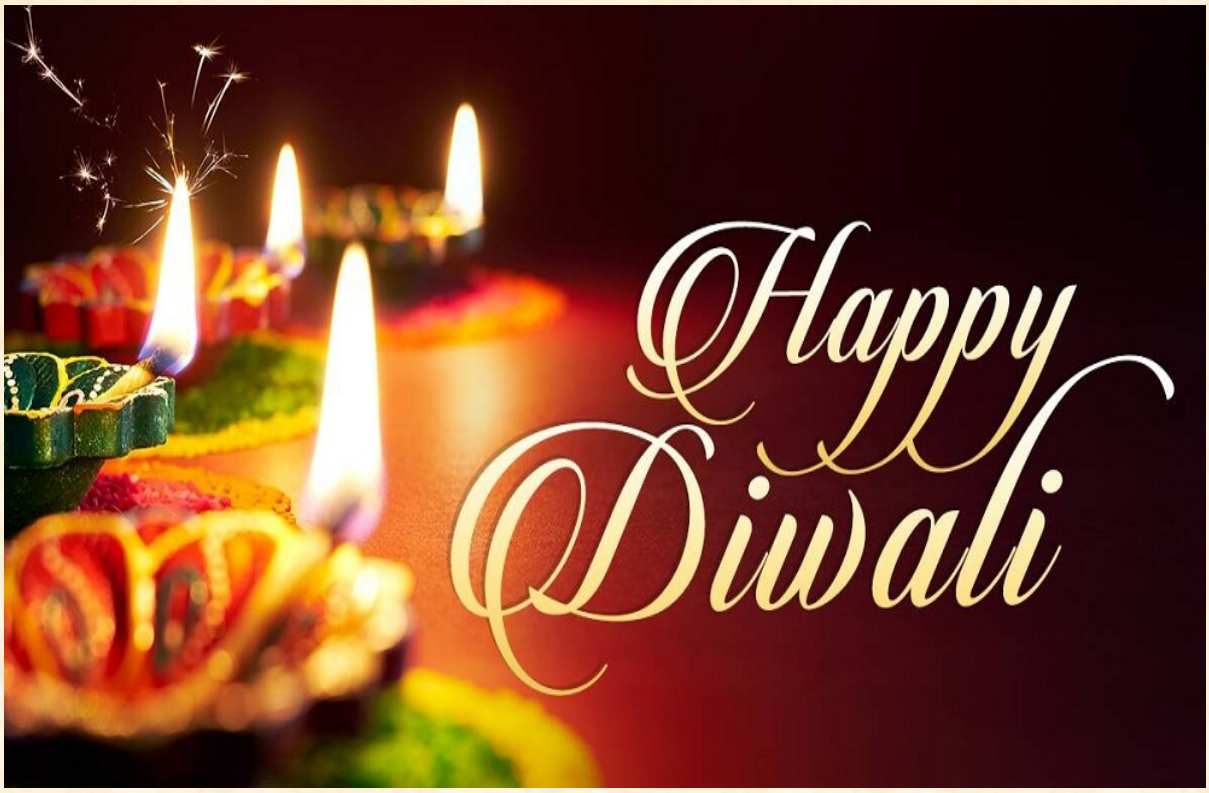

Happy Diwali……

From
Western UP Chamber of Commerce & Industry
Bombay Bazar, Meerut Cantt

INDEX

- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सम्पन हुई उद्योग बंधु की बैठक
- निर्यातको की समस्याओ पर अफसरों ने किया मंथन
- चैम्बर की 77वीं वार्षिक जनरल मीटिंग सम्पन
- कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने के लिए आरबीआइ तैयार
- एक ही केवाईसी से कर सकेंगे हर तरह के लेनदेन
- बैंक सत्यापन न होने पर भी रुक सकता है रिफंड
- अक्टूबर 2022 से बदल जाएंगे ये नियम
- बिजली कंपनिया तत्काल वापस करे उपभोक्ताओं से की गई ज्यादा वसूली
- एमएसएमई के लिए सरकार ने खोला खजाना, नई नीति को यूपी कैबिनेट की मंजूरी, निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी
- निजी औद्योगिक पार्क बनाने पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट, 25% सब्सिडी भी
- उद्योगों के लिए बेची जा सकेगी एससी-एसटी की भी जमीन, भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण करेगी योगी सरकार
- उद्योगों के लिए राजस्व संहिता में भी संशोधन करेगी योगी सरकार
- अब पाँच मिनट में होगा 'ई रेंट एग्रीमेंट'
- नई राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति लागू होने के बाद सस्ता होगा माल भाड़ा और मिलेंगे कई विकल्प
- ई-लाग्स से लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएं होंगी दूर
- राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन, अब होगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन
- Govt approves Rs 19,500-crore PLI scheme for manufacturing solar PV modules
- स्टांप की चोरी करने वालो को मौके पर भरना होगा जुर्माना
- Extension of Date for Mandatory electronic filling of Non-Preferential Certificate of Origin through the Common Digital Platform to 31st March 2023
- Withdrawl of prosecutions cases related to non-submission of KYC

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सम्पन हुई उद्योग बंधु की बैठक

वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोम्बे बाजार में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित की गयी। सर्वप्रथम चैंबर के अध्यक्ष डॉ रामकुमार गुप्ता द्वारा विधायक जी श्री अमित अग्रवाल एवं जिलाधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनन्दन किया । बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं नये प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करने के आदेश दिए।

नगर निगम से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र में पानी निकासी, नाला निर्माण कार्य, सड़को की मरम्मत एवं निर्माण कार्य, हाउस टैक्स बिल में कमी इत्यादि प्रकरणों पर उद्योग बंधुओं द्वारा आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराये जाने पर पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशो के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर एवं नए प्रस्ताव के संबंध में नगर निगम को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्याओं को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्यवाही की जाए।

इसके अलावा मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत स्टैण्डर्ड स्टील फैक्ट्री के समीप क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलिया का निर्माण कार्य, मिडफो प्रेसीडेंट द्वारा किला रोड के समीप औद्योगिक क्षेत्र के वाहनों के आवागमन मार्ग पर आ रही समस्याओं, ट्रांसपोर्ट नगर का मुख्यमार्ग जो कि दिल्ली रोड को बागपत रोड से जोड़ता है, साफ़-सफाई, कूड़े डालने पर रोक लगाए जाने, छिड़काव किये जाने, उद्योगपुरम की मुख्य सड़को जो कि दिल्ली रोड से जोड़ती है जिस पर एक छोटा सा पैच छोड़ दिया गया था कार्य को पूर्ण करने एवं मरम्मत कराये जाने की समस्याओं से अवगत कराया गया। उक्त प्रकरणों पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को उद्योग बंधुओं द्वारा बतायी गई समस्याओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर मा० विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।

निर्यातको की समस्याओ पर अफसरों ने किया मंथन

जनपद के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें निर्यातकों के सुझाव और उनकी समस्याओ पर मंथन किया गया। जिला उद्योग केंद्र की ओर से निर्यातकों के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाओ की जानकारी दी गई।

वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभागार बोम्बे बाजार में डीएम श्री दीपक मीणा की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें निर्यात नीति 2020 -25 पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमे उद्यमियों ने अपने सुझाव रखे। उद्योग उपायुक्त दीपेंद्र कुमार ने गेटवे पोर्ट तक निर्यात के लिए मालभाड़े पर शुरू की गई अनुदान योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया की 20 फीट कंटेनर पर दी जाने वाली 6000 की सब्सिडी को बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है इसी तरह 40 फीट के कंटेनर की सब्सिडी 12 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि माल के निर्यात के लिए बाहरी देशों में प्रर्दशनी में स्टाल अलाट में 60 प्रतिशत और आने-जाने के किराये में 50 प्रतिशत छुट का प्रविधान है। उद्योग उपायुक्त ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना और वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनाओ पर भी प्रस्तुतीकरण दिया। इस पर निर्यातकों ने सुझाव दिया कि निर्यात के बाद बैंक लेनदेन प्रमाण पत्र की आवश्यकता पडती है, जिसके लिए बैंक निर्यातकों को चक्कर कटवाते है। ऑनलाइन आवेदन करने की 180 दिन की अवधि की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई। उद्यमियों को बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे है, जबकि गाइडलाइन के अनुसार एमएसएमई इकाइयों को दो करोड़ तक का ऋण वितरित किए जाने का प्रविधान है।

SANSPAREILS GREENLANDS PVT. LTD (SG)

Mfrs. & Exporter

Cricket Gear, Apparels & Bags

Add: 1250, Opp. Airport, Gagol Road, Partapur,Meerut – 250103

Email: sales@teansg.in

Mobile : 8475888843

चैम्बर की 77वीं वार्षिक जनरल मीटिंग सम्पन

अक्टूबर से डीजल जेनरेटर पर पाबंदी, उद्यमियों ने बैठक कर सरकार के इस फैसले का जताया विरोध, बोले ओर समय चाहिए

वैस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 77वीं वार्षिक बैठक में पीएनजी की बाध्यता वाले नियमो को लागू करने का मुद्दा छाया रहा। उद्यमियों ने कहा कि सरकार पीएनजी की अनिवार्यता खत्म करे और उद्योग एवं व्यापार को खत्म होने से बचाए। वायु एवं गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए नियम घातक साबित होंगे।

अध्यक्ष डॉ रामकुमार गुप्ता ने कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पादन में 45 प्रतिशत एवं निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान देते है। इसके बावजूद इन उद्योगों को राहत देने के बजाय मुश्किल में डाला जा रहा है। वर्तमान डीजी सेटों को हाइब्रिड/दोहरी ईंधन मोड (70 प्रतिशत गैस आधारित ईंधन और 30 प्रतिशत डीजल के साथ) में परिवर्तित करना होगा। ऐसे डीजी सेटों को रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों से लेस करने की जरुरत होगी।

उन्होंने कहा कि पीएनजी पर सब्सिडी और विद्युत निर्बाध आपूर्ति आवश्यक है। काउंसिल सदस्य राजेंद्र सिंह ने कहा कि उद्योगों का पीएनजी आधारित जेनसेट में स्थानांतरित करना

बेहद मुश्किल और खर्चीला है। मार्किट में दोहरी ईंधन किट भी उपलब्ध नहीं है। एक जेनरेटर को पीएनजी से चलाने के लिए चार से दस लाख रूपये का अतिरिक्त खर्च होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी सी शर्मा ने कहा कि बैंको को 2 करोड़ की लिमिट वाले उद्योगों को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। निर्यातकों को मिलने वाली सब्सिडी 45 दिन में मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोविड संकट के दुष्प्रभाव से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की थी, लेकिन मई 2020 से अब तक 16.6 प्रतिशत उद्योगों के बैंक खाते एनपीए हो चुके है। इन हालात को भांपते हुए अतिरिक्त राहत मिलनी चाहिए। उपरोक्त बिंदुओं पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी प्रति शासन व प्रशासन को भी प्रेक्षित की गई।

तीन वर्ष के लिए पदाधिकारियों व काउंसिल सदस्यों का चयन:

बैठक के दौरान चार काउंसिल पदाधिकारी और 11 सदस्य तीन वर्ष के लिए अनुमोदित किये गए। अध्यक्ष डॉ रामकुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जीसी शर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री लोकेश कुमार सिंघल और श्री नीलकमल पुरी के अलावा सदस्यों में श्री सुशील जैन, श्री राजेंद्र सिंह, श्री गोपाल अग्रवाल, श्री अजीत कुमार जैन, श्री एमएस जैन, श्री कुमार जैन, श्री गिरीश कुमार, श्री अतुल जैन, श्री राजकुमार कंसल, श्री अनुभव अग्रवाल और श्री अनिल कुमार जैन को चुना गया। आज की 77वीं आमसभा में डीजल जेनरेटर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हुए शासन और प्रशासन को एक प्रस्ताव पारित करके भेजा गया।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur Centre,
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping
3, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने के लिए आरबीआइ तैयार

आरबीआई कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीते कुछ वर्षो में मर्चेंट (व्यापारी) वेबसाइट पर क्रेडिट-डेबिट कार्ड की चोरी से साइबर धोखाधडी के कई मामले सामने आए है। आरबीआई को शिकायते मिली है, इसके बाद कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम तैयार किया गया है।

नए सिस्टम में भविष्य में भुगतान के लिए सुरक्षित रखे गए कार्ड के 16 अंको वाले नंबर, नाम, एक्सपायरी की तारीख और सीवीवी कोड को एक टोकन नंबर में बदल दिया जाएगा। इसके बाद इसी टोकन नंबर को खरीदारी या अन्य भुगतान के लिए मर्चेंट वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राहकों के कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखने के मकसद से आरबीआई ने यह नियम बनाए है। अभी लेन -देन के दौरान मर्चेंट डेबिट -क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित कर लेते है। यदि मर्चेंट की वेबसाइट हैक हो जाती है, तो ग्राहको की जानकारी चोरी होने का भी डर रहता है। नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों की जानकारी मर्चेंट वेबसाइट के बजाए बैंक के पास सुरक्षित रहेगी। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बार भुगतान करते समय कार्ड की जानकारी देने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। इसका लाभ लेने के लिए ग्राहकों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।

एक ही केवाईसी से कर सकेंगे हर तरह के लेनदेन

तमाम वित्तीय लेन - देन के लिए अब एक ही केवाईसी का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेंट्रल डिपाजिटरी केवाईसी पर काम करती है। हम अब ऐसे तरीके पर काम कर रहे है, जिससे एक बार किसी का केवाईसी होने पर उसे सभी संस्थानों और जरूरतों के मुताबिक उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा, इससे कारोबार करना आसान होगा। अगर कारोबार अलग भी हुआ तो इसे बार - बार करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार और नियामक इस पर काम कर रहे है।

यूपीआई लेनदेन 10.62 लाख करोड़ रुपये:

जुलाई में यूपीआई लेनदेन 10.62 लाख करोड़ रहा, जिसमें 6.28 अरब लेनदेन किए गए थे। मार्च 2022 में समाप्त वित्त वर्ष मे 46 अरब लेनदेन के जरिये 84.17 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।

अभी ग्राहकों को हर बार देने पड़ते है दस्तावेज:

अभी सभी लेन - देन के लिए अलग - अलग केवाईसी की जरूरत होती है। मीचुवल फंड उद्योग लंबे समय से एक ही केवाईसी की मांग कर रहा है फंड उद्योग की मांग है कि जो केवाईसी बैंक में होता है, उसे सबके लिए मान्य कर देना चाहिए, क्योकि बैंक की छानबीन सही होती है।

बैंक सत्यापन न होने पर भी रुक सकता है रिफंड

सरकार हमेशा आयकर रिटर्न समय पर भरने को कहती है। इसका मकसद आयकरदाताओं को रिफंड में देरी समेत कई तरह की परेशानी से बचाना होता है। इस साल आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम समय सीमा समाप्त हुए 49 दिन हो गए हैं। हालांकि, कुछ ऐसे करदाता हैं, जिन्होंने अंतिम समय से पहले ही रिटर्न भर दिया। इसके बावजूद अभी तक उनका आईटीआर रिफंड नहीं मिला है। टैक्स सलाहकारों का कहना है कि आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है। आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर रिफंड की स्थिति की जांच की जा सकती है। आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है।

आईटीआर रिफंड में देरी का एक कारण बैंक खाता का सत्यापन भी हो सकता है। करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करके बैंक खाते को सत्यापित करने में त्रुटि की जांच कर सकते हैं। इसमें आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपका बैंक खाता आपके पैन से संबंधित है या नहीं। आयकर रिफंड की प्रकिर्या तभी शुरू होती है। जब आईटीआर को संसाधित यानी उसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया हो। साथ ही आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी पुष्टि की हो गई हो।

100 रुपये से कम पर तुरंत रिफंड नहीं:

आईटीआर रिफंड में देरी की एक और वजह हो सकती है कि यदि रिफंड की राशि 100 रुपये से कम है, तो आयकर विभाग इसे आपके बैंक खाते में जमा नहीं करता है। ऐसे मामलों में राशि को भविष्य के आयकर रिफंड के खिलाफ समायोजित किया जाता है।

पिछली बार का बकाया भी हो सकती है वजह:

टैक्स सलाहकारों का कहना है कि यदि करदाताओं की पिछले वित्तीय वर्ष से बकाया लंबित है तो इस स्थिति में भी रिफंड में देरी हो सकती है। टैक्स सलाहकार के.सी.गोदुका का कहना है कि ऐसी स्थिति में आयकर विभाग इस मामले में उस डिमांड के खिलाफ रिफंड राशि को समायोजित करेगा।

पिछले साल से 65 फीसदी ज्यादा रिफंड:

आयकर विभाग ने पहले ही पात्र करदाताओं को आईटीआर रिफंड जारी कर दिया है. हाल ही में, आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि 8 सितंबर, 2022 तक 1.19 लाख करोड़ रुपये का ITR रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 65.29 प्रतिशत अधिक है।

THE RUG REPUBLIC

Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS

(150m from Kirti Nagar Fire Station)

Noida: A-32, Sector 63

(Off Nh24, Opp. Indirapuram)

MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)

Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

अक्टूबर 2022 से बदल गए ये नियम

डीमेट खाते के नियम में बदलाव

डीमैट खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टाफ एक्सचेंज ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी करके बताया है कि 30 सितम्बर तक डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरुरी है। इसके बिना एक अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े धोखाधड़ी के मामलो पर रोक लगाई जा सकेगी।

करदाता नहीं उठा पाएंगे अटल पेंशन योजना का लाभ

सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमो में बदलाव किया है। अब करदाता इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते है तो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे पहले पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि एक अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी करदाता अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर इस तारीख को या इससे पहले करदाता पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और उस दिन तक जमा उसकी पेंशन वापस कर दी जाएगी।

डेबिट, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले

अब तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते है तो आपके कार्ड की जानकारी सबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलो को देखते हुए अब आरबीआइ ने नियमो में बदलाव किया है। अब ट्रांजेक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा।

जीएसटी के ई -चालान से जुड़े नियमो में बदलाव

एक अक्टूबर से जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारीयो के लिए ई - चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और वाइपर जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

बिजली कंपनिया तत्काल वापस करे उपभोक्ताओं से की गई ज्यादा वसूली

बिजली उपभोक्ताओं से कनेक्शन के एवज में कास्ट डाटा बुक की दरों का उल्लंघन कर मनमानी वसूली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं से की गई ज्यादा वसूली को तत्काल वापस किया जाए। पूरा पैसा वापस कर 21 अक्टूबर को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के साथ ही सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को आयोग ने पूरे ब्योरे के साथ तलब किया है।

उपभोक्ताओं से की गई 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली:

- कास्ट डाटा बुक की दरों का पालन न करने को आयोग रेगुलेटरी उल्लंघन मानते हुए दोषियों पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाने के अलावा उनके विरुद्ध तीन माह की सजा सुना सकता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों द्वारा कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन किए जाने का मामला उठाते हुए नियामक आयोग में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
- परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि कंपनियां ने आयोग द्वारा आठ जुलाई 2019 को बिजली के उपकरणों की दरों के संबंध में घोषित कास्ट डाटा बुक के बजाय अपने हिसाब से दरें तय कर नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं और किसानों से मनमानी एस्टीमेट के आधार पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की है।
- इसे आयोग के आदेश के विरुद्ध एक वैधानिक उल्लंघन बताते हुए वर्मा ने विद्युत अधिनियम की धारा 142(जुर्माना) व 146(सजा) के तहत कंपनियों के प्रबंधन पर

कार्यवाही करने के साथ ही उपभोक्ताओं से वसूली गई ज्यादा धनराशि को ब्याज सहित वापस कराए जाने का आदेश किए जाने को आयोग से कहा।

- आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
- आयोग ने सभी बिजली कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे कास्ट डाटा बुक की दरों से ज्यादा की गई वसूली को तत्काल संबंधित उपभोक्ताओं को वापस करें। पूरी धनराशि की वापसी 21 अक्टूबर से पहले सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग ने कंपनियों को जारी नोटिस में नाराजगी भरे लहजे में कहा है कि कास्ट डाटा बुक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक कानून है।
- कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन रेगुलेटरी प्रोसेस के विपरीत अवमानना की श्रेणी में आता है जो कि माफ करने योग्य नहीं है। इस संबंध में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज का कहना है कि आयोग के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग का जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

कंपनियों ने अपने साफ्टवेयर से आयोग का आदेश हटाकर की मनमानी:

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियों ने अपने आनलाइन साफ्टवेयर ईआरपी से आयोग के कास्ट डाटा बुक संबंधी आदेश को हटाकर मनमानी की है। 25 जून को मनमानी दरों संबंधी नियम विरुद्ध गलत आदेश अपलोड कर कंपनियों ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला। किसानों से ट्यूबवेल के कनेक्शन के एस्टीमेट पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी की वसूली की गई जबकि ट्यूबवेल कनेक्शन के मामले में जीएसटी शून्य है।

अन्य विद्युत उपभोक्ताओं से भी जीएसटी के मद में 39 प्रतिशत तक की वसूली की गई। वर्मा का दावा है कि लगभग चार लाख उपभोक्ताओं से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की गई है। परिषद अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में कारपोरेशन प्रबंधन के संज्ञान में पूरे मामले को लाए जाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। पूरे मामले पर वह अब मुख्यमंत्री से मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे।

एमएसएमई के लिए सरकार ने खोला खजाना, नई नीति को यूपी कैबिनेट की मंजूरी, निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी

प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2022 को मंजूरी देकर इस सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए खजाना खोल दिया है। निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और लिए गए ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज में छूट (उपादान) का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, बहिस्राव के निस्तारण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) के लिए 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद भी दी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 को अनुमोदित कर दिया है। इसमें किसी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उपादान के रूप में 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक उपादान उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूंजीगत उपादान (छूट) प्लांट व मशीनरी आदि पर निवेश पर मिलता है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उपादान की यह सीमा 15-25 प्रतिशत तक और मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10-20 प्रतिशत तक होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए दो प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी। उपादान की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यूपी में पहली बार ऐसी नीति लाई गई है। इससे एमएसएमई को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:
Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing, Hospitality,
Distribution & Marketing
A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को ब्याज में 60 प्रतिशत छूट

प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान के तहत ऋण पर देय वार्षिक ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह ब्याज उपादान 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा और अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये प्रति इकाई होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए यह ब्याज उपादान 60 प्रतिशत तक होगा।

स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए भी 5 लाख तक की भरपाई

नीति के अनुसार, एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने केलिए स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी सभी इकाइयों को लिस्टिंग के व्यय का 20 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपये की भरपाई की जाएगी। फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ग्राम सभा की 5 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए मिलेगी

10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और लिए गए ऋण पर 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम दो करोड़ रुपये) उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक ग्राम सभा की भूमि पुनर्ग्रहीत कर निशुल्क उद्योग निदेशालय को स्थानांतरित की जाएगी। विभाग भूखंडों का विकास करते हुए जिलाधिकारी के सर्किल रेट पर आवंटन करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 किमी की दूरी के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के विकास के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की समस्या के मद्देनजर सीईटीपी को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है।

इसलिए लाई गई नई नीति

प्रदेश में इससे पहले दिसंबर 2017 में सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। इसमें इन इकाइयों को देय लाभ नेट जीएसटी से लिंक्ड थे, जिसके

कारण अधिकतम सूक्ष्म इकाइयां इस नीति का लाभ नहीं उठा सकी। इसके अलावा एमएसएमई नीति - 2017 और औधोगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (आईआईपी - 2017) में लघु एवं मध्यम इकाइयों को शामिल किए जाने और दोनों नीतियो में लाभ प्रदान करने की वयवस्था में अंतर से प्रदेश के उधमियों में लाभ पाने को लेकर असंमजस की स्थिति बनी रहती थी। आगामी 5 वर्षो में प्रदेश की अर्थवयवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए यह जरुरी है कि विभिन्न नीतियों में सामंजस्य हो और लाभ देने की प्रक्रिया में किसी तरह का विरोधाभास न हो।

निजी औद्योगिक पार्क बनाने पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट, 25% सब्सिडी भी

पांच साल में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी सरकार प्रदेश में औद्योगिक पार्कों की स्थापना में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगी। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में न सिर्फ शत प्रतिशत छूट दी जाएगी, बल्कि पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाएगी। यही नहीं, प्रदेश में निवेश करने वाली 100 फीसदी एफडीआई वाली कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर तत्काल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग ने यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का मसौदा जारी कर दिया। इसके अनुसार निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति या भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव योजना के तहत प्राप्त प्रोत्साहन में से किसी एक का लाभ लेने का विकल्प मिलेगा।

विभाग ने उद्यमियों व निवेशकों से चार अक्तूबर तक सुझाव मांगे है। निजी क्षेत्र द्वारा बनाए गए इन औद्योगिक पार्कों में विभिन्न तरह के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। इनमें कम से कम पांच उद्यम इकाइयां होना आवश्यक है।इसके जरिए सरकार की योजना गावों तक औद्योगिक विकास पहुंचाने का है। इसके लिए सरकारी व निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना पर फोकस किया जाएगा।

निजी औद्योगिक पार्क को ऐसे प्रोत्साहित करेगी सरकार

बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 20 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल में, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 30 एकड़ या अधिक क्षेत्र में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना पर सरकार पूंजीनिवेश पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। श्रमिकों के लिए छात्रावास बनाने पर लागत की 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

नई नीति में रोजगार सृजित करना लक्ष्य

नई नीति में सरकार की कोशिश ईज ऑफ डूंइग बिजनेस में वृद्धि करना, ब्रांड यूपी की मार्केटिंग करना और वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ रोजगार के अवसर सृजित करना है। संतुलित क्षेत्रीय विकास और अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

उद्योगों के लिए बेची जा सकेगी एससी-एसटी की भी जमीन, भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण करेगी योगी सरकार

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। इस नीति में तमाम पूंजीगत सुविधाओं के साथ उद्योगों के लिए जमीन की बाधा दूर करते हुए राजस्व संहिता में भी संशोधन करने की तैयारी में है। इसके बाद उद्योगों के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति की जमीन भी बेची जा सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निर्देश दे चुके थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले ही आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नीतियों में संशोधन कर लिया जाए, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। हाल ही में कैबिनेट ने नई एमएसएमई नीति को स्वीकृति दी है और अब अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रा ेत्साहन नीति 2022 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है।

50 वर्ष के लिए पट्टे पर मिलेगी ग्राम समाज की बंजर भूमि:

इस नीति में विशेष प्रस्ताव यह रखा गया है कि निवेश के लिए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ग्राम समाज की बंजर और अन्य अनुमन्य भूमि 50 वर्ष के लिए सर्किल रेट के एक प्रतिशत पर पट्टे पर दी जाएगी। पट्टे को 50 वर्ष बाद भी विस्तारित किया जा सकेगा। सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति करेगी।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com
A Pioneer Unit for Manufacturing of:
"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

उद्योग लगाने के लिए भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण:

स्पष्ट कहा गया है कि राजस्व संहिता के प्रविधानों में संशोधन कर उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण किया जाएगा। जैसे कि कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करना, भू-उपयोग में परिवर्तन, ग्राम समाज की भूमि का निजी भूमि से विनिमय और अनुसूचित जाति-जनजाति की भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी।

ग्राम समाज की भूमि मुफ्त प्राधिकरणों में होगी शामिल:

लैंडबैंक की चिंता करते हुए ही यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयाेंं के स्वामित्व वाली भूमि का भी उपयोग किया जाए। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि को निश्शुल्क प्राधिकरणों में शामिल किया जाएगा। पूरे प्रदेश में कहीं भी स्थित ग्राम समाज की भूमि को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पक्ष में निश्शुल्क पुनर्ग्रहण करने के लिए अनुमति देने के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत संबंधित निर्देश जारी किए जाएंगे।

फास्ट ट्रैक से जमीन का आवंटन:

नई औद्योगिक नीति में प्रस्ताव है कि भूमि आवंटन के लिए आवेदन भी निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही लिए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि मेगा और उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसमें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली इकाइयां विशेष रूप से शामिल होंगी।

निवेश प्रोत्साहन अनुदान के मिलेंगे तीन विकल्प:

इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिषेक प्रकाश का कहना है कि पिछली नीति का भी उद्देश्य भी उद्यमियों को प्रोत्साहन देना ही था, लेकिन अनुदान को लेकर वह कुछ असमंजस में रहते थे। इसे देखते हुए पहली बार विकल्प आधारित प्रोत्साहन माडल इस नीति में प्रस्तावित किया गया है। अब उद्यमी पूंजीगत अनुदान, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना के तहत प्राप्त प्रोत्साहनों पर

टाप-अप में से कोई भी एक विकल्प चुन सकेंगे। पूंजीगत अनुदान के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में अधिकतम 40 करोड़ और बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में अधिकतम 45 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र स्थाई पूंजी निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। श्रमिकों के लिए छात्रावास-डोरमेटरी आवास की लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की दर से पूंजीगत अनुदान अधिकतम 25 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन मिलेगा।

स्टांप शुल्क में यूं मिलेगी छूट:

- बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100 प्रतिशत
- मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत
- गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में 50 प्रतिशत

औद्योगिक इकाइयों की श्रेणियां:

- वृहद - 50 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 200 करोड़ रुपये से कम
- मेगा - 200 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम
- सुपर मेगा - 500 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 5000 करोड़ रुपये से कम
- अल्ट्रा मेगा - 5000 करोड़ रुपये या उससे अधिक

अधिक सहूलियत उद्यमियों को देने का उद्देश्य:

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना आवश्यक है। इसे देखते हुए ही देश के विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर अधिक से अधिक सहूलियत और प्रोत्साहन उद्यमियों-कारोबारियों को देने के उद्देश्य से नई नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

उद्योगों के लिए राजस्व संहिता में भी संशोधन करेगी योगी सरकार

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नीतियों में संशोधन कर रही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नीति में खास तौर पर उद्योगों को जमीन की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है।

निवेश इकाइयों को ग्राम समाज की बंजर या अनुमन्य भूमि 50 वर्ष तक के लिए सर्किल रेट की एक प्रतिशत दर पर दी जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य प्रबंधन को सरल बनाने के लिए सरकार राजस्व संहिता में भी संशोधन करने जा रही है।

इसके साथ ही प्रस्तावित है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के तहत जो भी ग्राम समाज की भूमि होगी, वह उन्हें मुफ्त में दे दी जाएगी। प्रस्तावित नीति के तहत बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक तथा मध्यांचल व पश्चिमांचल में 30 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने वालों को क्रमशः 45 व 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन भूमि लागत को छोड़कर पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी बतौर प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी।

विकासकर्ता को जमीन खरीदने पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। इसी तरह कहीं भी 100 एकड़ पर पार्कों को विकसित करने वालों को भी 80 करोड़ रुपये तक सब्सिडी प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित नीति पर औद्योगिक विकास विभाग ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों से चार अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं।

DAS HYUNDAI

At Hyundai, We are going

Beyond Mobility

Das Building, Abulane, Meerut
Mob: 9557909977, 9557909988

सुविधा: अब पाँच मिनट में होगा 'ई रेंट एग्रीमैंट'

उत्तर प्रदेश में अब आम नागरिकों और व्यापारियों को मकान, दुकान, गोदाम जैसी जगह किराए पर लेने के लिए कहीं भटकना पड़ेगा। योगी सरकार इनकी सुविधा के लिए 'ई रेंट एग्रीमेंट' के जरिए ऑनलाइन लीज डीड की शुरुआत कर रही है। इससे अब डीड राइटर की आवश्यक्ता नहीं रह जाएगी।

किराएदार, सीधे मकान या बिल्डिंग के मालिक के साथ ऑनलाइन अनुबंध कर सकेंगे। इससे आम नागरिकों समेत व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्हें मौजूदा जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि ऑनलाइन महज 5 मिनट में वो कांट्रैक्ट लेटर हासिल करने में सक्षम होंगे।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने प्रदेश में नागरिकों को कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन देकर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया है। ई रेंट एग्रीमेंट उसी मुहिम का हिस्सा है। फिलहाल इसकी शुरुआत गौतम बुद्धनगर से हुई है और जल्द ही अन्य जिलों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

रेंट एग्रीमेंट की मौजूदा व्यवस्था के तहत किराएदार को पहले डीड राइटर से संपर्क साधना पड़ता था। इसके बाद स्टांप पेपर खरीदने, उसकी नोटरी कराने के बाद दोनों पार्टियों के रेंट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते थे। प्रस्तावित ऑनलाइन व्यवस्था में अब किराएदार को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट पोर्टल पर जाकर अपने नाम और मोबाइल के जरिए लॉगिन करके लीज डिटेल भरनी होगी। उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्धनगर में www.gbnagar.nic.in नाम से साइट विकसित की गई है। इस पर प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के बाद स्टांप ड्यूटी अदा करते ही लीज डीड की प्रिंट कॉपी मिल जाएगी। पोर्टल पर रेंट डिटेल भरते ही स्टांप ड्यूटी का ऑटोमैटिक कैलकुलेशन हो जाएगा।

नई राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति लागू होने के बाद सस्ता होगा माल भाड़ा और मिलेंगे कई विकल्प

देश में माल परिवहन (Goods Transporting) की लागत कम करने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) नई राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति (New Logistics Policy) ले कर आई है. इसका मकसद उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के साथ-साथ माल ढुलाई की लागत को कम करना है. नई नीति लाने का मकसद है कि जीडीपी के मौजूदा 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत के नीचे तक लाना और रोजगार पैदा करना. माल भाड़ा कम होगा तो उसका सीधा असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा और कीमतें कम होंगी.

पीएम मोदी के मुताबिक, 'देश में लॉजिस्टिक लागत को कम कर चीन, अमेरिका और यूरोपियों देशों की बराबरी करने के लिए यह नई नीति लाई गई है.' इसके लिए मोदी सरकार जलमार्ग, रेलवे, सड़क के बाद अब हवाई मार्ग को भी लोकप्रिय साधन बनाने के दिशा में काम कर रही है. मोदी सरकार अगले पांच सालों में देश के कई शहरों में हवाई सेवा और एयरपोर्ट विकसित कर रही है. माल ढुलाई के लिए अब एयर कार्गो की लागत को भी कम करने की कवायद चल रही है.

लॉजिस्टिक लागत कितना कम हो जाएगा

देश में अभी लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 16 फीसदी है. चीन में यह 10 फीसदी और अमेरिका और यूरोप में 8 फीसदी है. पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ नागरिक उड्यन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की भूमिका अहम होने वाली है. पिछले दिनों ही पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार तकनीक के उपयोग से लाजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत कर रही है. खासकर ड्रोन का इस्तेमाल के साथ-साथ सीमा शुल्क और ई-वे बिल का इलेक्ट्रानिक मोड से मूल्यांकन किया जाएगा.

सस्ता होगा अब माल भाड़ा!

गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पिछले कई सालों से इस पर काम कर थी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई मौकों पर कहते रहे हैं कि सरकार माल परिवहन के सभी माध्यमों के लिए एकल लॉजिस्टिक कानून काफी कारगर साबित होगा. अब

सभी लॉजिस्टिक माध्यमों के लिए एक कानून आने से सही मायने में बहुस्तरीय परिवहन को सहूलियत मिलेगी.'

लॉजिस्टिक लागत में भारत की स्थिति

आपको बता दें कि भारत अभी लॉजिस्टिक लागत में विश्व में 44वें स्थान पर है. पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को विकसित देशों का प्रतिस्पर्धा बनना है. इसलिए अपने उत्पादों को विश्व स्तरीय बना कर दुनिया के बाजार पर कब्जा करना होगा. देश में नई नीति आने के बाद इसमें मदद मिलेगी.

भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. ऐसे में एक ही पोर्टल से हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग से सामान भेजना आसान हो जाएगा. सरकारी एजेंसी अब शिपिंग कंपनियों,आईटी से जुड़े हितधारक, बैंक, कंटनेर और बीमा कंपनियों से मिलकर लॉजिस्टिक व्यवस्था बनाएगी.

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

ई-लाग्स से लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएं होंगी दूर

लॉजिस्टिक से संबंधित सभी समस्याओं का हल अब एक ही पोर्टल पर हो जाएगा। अभी लॉजिस्टिक से जुड़े विभिन्न विभागों की समस्याए संबंधित विभाग को बतानी पड़ती है और वह विभाग उस समस्या का निराकरण करता है। कई बार जो समस्याए उजागर की जाती है, उनका हल नहीं भी निकलता है। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत सभी विभागों से जुड़ी समस्या को रखने एवं उसके निराकरण के लिए ई-लाग्स पोर्टल बनाया गया है।

उधोग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-लाग्स से लॉजिस्टिक्स सेवा से जुड़ी 70 एसोसिएशन को जोड़ा जा रहा है। इन एसोसिएशन को ई-लाग्स पर अपने - अपने सेक्टर से जुड़ी समस्या को डालने के लिए अधिकृत किया जाएगा। ये कर्मचारियों की एसोसिएशन होगी, जिन्हे काम करने के दौरान आने वाली समस्याओ की पूरी जानकारी होती है। उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म पर समस्या के आते ही संबंधित विभाग को इसकी सूचना मिल जाएगी और उस विभाग को समस्या दूर करने के लिए कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। समस्या पर कार्रवाई की गई या नहीं, इस पर अन्य विभाग की भी नजर होगी। ई-लाग्स पोर्टल पर एक डेशबोर्ड होगा, जिससे पता चलेगा कि कितनी अवधि में कितनी समस्याए आई और उसपर कार्रवाई की क्या स्थिति है। इसका फायदा यह होगा कि लॉजिस्टिक सेवा में आने वाली समस्याए दूर होती जाएंगी।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन, अब होगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन

योगी सरकार (Yogi Government) ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग (State Planning Commission) के पुनर्गठन का निर्णय करते हुए इसे स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) का नाम दिया है। एसटीसी राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए थिंक टैंक और ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा। राज्य के भौतिक, वित्तीय और जन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सुझाव देगा। अगले पांच वर्षों में उप्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने की दिशा में भी काम करेगा।

स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए बनेगा थिंक टैंक

मुख्यमंत्री एसटीसी के अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट (UP Cabinet Decision) ने कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, वित्त, कृषि, समाज कल्याण, पंचायती राज, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, जलशक्ति और नगर विकास विभागों के मंत्री तथा नियोजन राज्य मंत्री एसटीसी के पदेन सदस्य होंगे। एसटीसी का उपाध्यक्ष कोई ख्यातिप्राप्त लोक प्रशासक/शिक्षाविद/अर्थशास्त्री होगा।

मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, वित्त, कृषि, नगर विकास, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, जल संसाधन और नियोजन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एसटीसी के शासकीय पदेन सदस्य होंगे।

तीन साल के लिए नामित किये जाएंगे 20 गैर सरकारी सदस्य

इसमें 20 गैर सरकारी सदस्य नामित किये जाएंगे जो सामाजिक सेक्टर, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, ऊर्जा, उद्योग आदि क्षेत्रों से जुड़े विषय विशेषज्ञ होंगे। नामित किये जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जिसे विशेष परिस्थितियों में दो साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

लोक प्रशासक होगा सीईओ

एसटीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लोक प्रशासक/ प्रमुख सचिव या उससे उच्च स्तर का सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। इसमें एक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा जो विशेष सचिव नियोजन के स्तर का अधिकारी होगा।

परिणाम आधारित कार्यपद्धति को देगा बढ़ावा

एसटीसी सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में परिणाम आधारित कार्यपद्धति को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। राज्य के विकास के लिए नीतियों में नए ज्ञान, दक्षताओं और नवाचारों का भी समावेश करेगा। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के अवरोधों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के सुझाव देगा। कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए सलाह देगा।

50 वर्ष पूर्व गठित राज्य योजना आयोग का अस्तित्व खत्म

राज्य योजना आयोग का गठन 24 अगस्त 1972 को हुआ था। मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय योजना आयोग को पुनगर्ठित कर नीति आयोग बनाये जाने के बाद यह निष्क्रिय और अप्रासंगिक हो गया था। राज्य सरकार ने अब इसे नीति आयोग की तर्ज पर पुनगर्ठित करने का निर्णय किया है।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:
6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:
Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

Govt approves Rs 19,500-crore PLI scheme for manufacturing solar PV modules

The Cabinet approved a Rs 19,500-crore production linked incentive (PLI) scheme on 'national programme on high efficiency solar PV modules' with an aim to attract Rs 94,000 crore investment in the sector.

One of the the benefits expected from the PLI scheme is that about 65,000 MW per annum manufacturing capacity of fully and partially integrated solar PV modules would be installed.

Giving details about the Cabinet decision, information and broadcasting minister Anurag Thakur said that about 2 lakh direct jobs would be created in the sector.

The national programme aims to build an ecosystem for manufacturing of high efficiency solar PV modules in India and reduce import dependence in the area of renewable energy.

The initiative is expected to reduce import substitution of about Rs 1.37 lakh crore.

Solar PV manufacturers will be selected through a transparent selection process. PLI will be disbursed for 5 years after commissioning of solar PV manufacturing plants and sales of high efficiency solar PV modules from the domestic market will be incentivised.

स्टांप की चोरी करने वालो को मौके पर भरना होगा जुर्माना

राज्य सररकार स्टांप चोरी पर सख्ती से रोक लगाने जा रही है। इसकी शिकायत मिलने पर प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचेगा और नापजोख में चोरी की पुष्टि होने पर वहीं जुर्माना लगाते हुए उसे वसूला जाएगा। मौके पर न जमा करने वालो से हर्जाना भी वसूला जा रहा है।

उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर समिति बन गई है और जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

स्टांप व पंजीयन विभाग के पास मौजूदा समय ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो स्टांप चोरी रोक सके और उस पर जुर्माना लगा सके।

क्या होता है खेल:

- संपत्ति की लागत कम दिखाकर रजिस्ट्री कराई जाती है।
- इसमें निबंधन कार्यालय के अफसर भी शामिल होते है।
- कुछ जमीनों का भू-उपयोग भी बदल दिया जाता है।
- शिकायत होने पर इसकी जांच कराने की व्यवस्था है।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103

Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035

Fax: 0121-2441009

Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Foreign Trade

Dated: 1st August 2022
Udyog Bhawan, New Delhi

Trade Notice No. 15/2022-23

To,

1. All Exporters/Members of Trade
2. All Designated Issuing Agencies

Subject: Extension of Date for Mandatory electronic filing of Non-Preferential Certificate of Origin (NP CoO) through the Common Digital Platform to 31st March 2023 –reg

In continuation to the earlier Trade Notice 24/2021-22 dated 15.11.2021, Trade Notice 42/2020-2021 dated 19.02.2021, 48/2020-2021 dated 25.03.2021, 10/2021-2022 dated 19.07.2021, 19/2021-2022 dated 01.10.2021, 21/2021-22 dated 18.10.2021, 32/2021-22 dated 24.01.2022 and 04/2022-2023 dated 27.04.2022, it is informed that the transition period for mandatory filing of applications for Non-Preferential Certificate of Origin through the e-CoO Platform has been further extended till **31st March 2023**.

2. While the exporters and NP CoO Issuing Agencies would have the option to use the online system, the same shall not be mandatory till 31st March 2023. The existing systems of processing non-preferential CoO applications in manual/paper mode are being allowed. For guidance on registration and online application submission process, the Help Manual & FAQs may be seen on the landing page at https://coo.dgft.gov.in

3. The authorised agencies are therefore required to sensitize the exporting community and their constituents regarding the online system and its registration requirements well in time. Any issues relating to the IT system and its implementation may also be brought to our notice for appropriate action.

This issues with the approval of the competent authority.

(Md. Moin Afaque)
Deputy Director General of Foreign Trade
Email: ddg2egov-dgft@gov.in

(Issued from File No. 01/02/82/AM-19/EDI)

File No.Compliance/Policy/WithdrawalofProsecutionCases/2022

I/44890/2022

10863

25/09/2022

ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066

EPFO, HEAD OFFICE
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAIJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066
www.epfindia.gov.in

26 SEP 2022

To,

The ACC (HQ)/ACC (Zones)
The RPFCs-in-charge of Regional Offices

Sub: Withdrawal of prosecutions cases related to non-submission of KYC- Reg.

Sir/Madam,

The deliberations of sub-committee of CBT,EPF on Coverage and Related Litigation were placed and approved by the CBT in its 230th and 231st meeting held on 12.03.2022 and 30.07.2022 respectively.

2. In pursuance to above recommendation Head Office circular no B-II/38(5)75/Vol.II dated 31.01.1983 is partially modified and the Central Provident Fund Commissioner hereby authorizes the Regional Provident Fund Commissioner in-charge of a Regional Office to consider application for withdrawal of such prosecutions on following terms and conditions:

a. the employer should request for withdrawal of prosecution by application before the RPFC/Competent court as he deem fit;
b. the application shall be only for prosecution filed for non-filing/non-submission of KYC document(s) of the member(s) under the Scheme ;
c. subsequent to filing of the said prosecution case the employer must have made necessary compliance for the concerned employees' required KYC document(s); and
d. the employer shall submit an undertaking to comply with the statutory provisions for filing/submission of KYC document(s) in future.

3. Further, the cost of legal and other expenses incurred during the course of such prosecution should not be demanded.

(This issues with the approval of CPFC)

Yours faithfully,

(Jag Mohan)
Addl. CPFC (HQ)(Compliance)

XXXXXXXXXXX